झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

:: अधिसूचना ::

राँची, दिनांक–....................

संख्या–9/आरोप –33/2015..................../रा0, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के तत्कालीन आप्त सचिव (सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू) एवं डॉ0 प्रदीप पाण्डेय, जिला आर.सी.एच. पदाधिकारी, गुमला के बीच अनुचित कार्य के बदले पैसे के लेन–देन की बातचीत की खबर दिनांक–19.07.15 को ''दैनिक भास्कर'' अखबार में प्रकाशित होने के मामले में विभागीय अधिसूचना सं0–553/रा., दिनांक– 17.02.16 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0–564, दिनांक–03.02.17 द्वारा श्री सिंह को चेतावनी संसूचित करते हुए उनके विरूद्ध सांस्थित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया गया।

3. श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0–4175, दिनांक–28.08.2015 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–1060, दिनांक–14.03.2016 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। इस प्रकार श्री सिंह दिनांक–28.08.2015 से 13.03.2016 तक निलंबित रहे। इनकी निलंबन अवधि को कर्तव्य पर बताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है एवं इस अवधि में इन्हें पूर्ण वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राम कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या–9/आरोप –33/2015–......................../रा., राँची, दिनांक–.................................

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या–9/आरोप –33/2015–......................../रा., राँची, दिनांक–.................................

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले.एवं हक.) झारखण्ड, राँची/योजना–सह–वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या–9/आरोप –33/2015–1200(9)/रा., राँची, दिनांक–07-03-17

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू/विभागीय प्रशाखा–2/श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.3.17

सरकार के संयुक्त सचिव।